




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

.....चाखनी देवी बजौरा बनाम विष्णू चरण इत्यादि नगौरा.....

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
06-12-17	<p>अभिलेख सं०-एम.....166...../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी ...बजौरा... के अप्राथमिकी सं०-57/17 दिनांक-27/11/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि रत्नाम्बु नं० 121 प्लॉट 102 एवं 111 के संबंध में जमीनी विवाद की लैकड डमर पत्र में तनाव है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असांतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं प्रायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 22-12-17 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p>	
22-12-17	<p>अभिलेख उपस्थापित। डमर पत्र उपस्थित। डमर पत्र जवाब दाखिल कर दिनांक 08-01-18 को है।</p> <p align="center">  22/12/17 </p>	

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक
22-07-18

अभिलेख उपस्थापित / प्रथम पत्र
 उपस्थापित द्वितीय पत्र क्रमांक 01 उपस्थापित
 क्रमांक 02 अनुपस्थापित / प्रथम पत्र की
 कोटि से प्रभाव दायित्व किया गया /
 उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि
 पूरी हो चुकी है अर्थात् वाद कालवधित
 हो गया है। अतः वाद में अभिलेख
 की कारवाही बन्द की जाती है।

f
2/7/18